रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 126] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च, 25, 1985/चैत्र 4, 1907
No. 126] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 25, 1985/CHAITRA 4, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

नई दिल्ली, 25 मार्च, 1985

शुद्धिपत्र

सा. का. नि. 304(अ):—भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग 2, खंड 3 उप-खंड (1) में दिनांक 7 अगस्त, 1984 को पृष्ठ 1 से 2 तक प्रकाशित भारत सरकार, नौवहन और परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. (अ) की अनुसूची में जो तूतीकोरिन पत्तन कर्मचारी (आचरण) तृतीय संशोधन विनियम,

1984 के बारे में है, दूसरे कालम की चौथी पंक्ति में "केन्द्रीय सरकार इस का अनुमोदन करे" के स्थान पर कृपया "केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 124 के तहत इसका अनुमोदन करे" पढ़िये ।

[फाइल सं. पी. डब्ल्यू/पी.ई.टी. 60/78]
पी. वी. राव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Ports Wing)

New Delhi, the 25th March, 1985

CORRIGENDUM

G.S.R 304(E).—In the Tuticorin Port Employees (Conduct) Third Amendment Regulations, 1984, forming the Schedule to the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Ports Wing) GSR 595(E) dated the 7th August, 1984 published at pages 2 to 3 of the Gazette of India (Extraordinary), Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 7th August, 1984, in the preamble at page 2,—

(i) in the second line, for "Trust" read "Trusts";

(ii) in the fourth line, for "approval of the" read "approval of the Central Government under section 124 of the Act, the";

(iii) in the last line, for "he" read "the".

[F. No. PW/PET-60/78]
P. V. RAO, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985